

20.12.17

आज परावली पेश हुई वाकुसाप उपो परिवारी
वकील ने दिनांक 18.3.15 को बताया कि परिवारी
नं 3 गोपाल कि मृत्यु तो चुकी है। इस संदर्भ
वारी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र व संश्लेषित शीर्षक
आज दिनांक तक पेश नहीं किया है। जो कि प्रार्थना
पत्र अधिवक्ता को चुका है। कोशु 1, 2 परिवारीगण
अउठ। अतः एक पक्षीय कार्यवाही समझ में लानी
गयी। विधायकीन प्रकरण का अवलोकन किया।
वारी कि ओर से 90 दिन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर देना चाहिए था। लेकिन आज तक व्यापारप
में पेश नहीं किया गया। अतः प्राप्य काम मुकाम
मशरूफ होने पर प्रकरण ऐबट किया जाता है।
प्रकरण चलने योग्य नहीं है। प्रकरण खारीग किया
जाता है। परावली केसस सुमार नौकर नम्बर से
कम तो। परावली इफतर इरिवस किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा